कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा अनेक स्रोतों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना, 2011 से संगृहित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

अध्याय-1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की वित्तीय स्थिति का एक विहंगावलोकन है।

अध्याय-2 रा.रा.क्षे दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समूहों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

अध्याय-3 रा.रा.क्षे दिल्ली की विनियोजन लेखा पर आधारित है तथा यह रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन एवं आवंटित प्राथमिकताओं एवं तरीका जिनमें आवंटित संसाधनों का विभिन्न सेवा विभागों द्वारा प्रबंधन किया जाता था, का अनुदान-वार विवरण उपलब्ध कराता है।

अध्याय-4 रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करता है तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों एवं लेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण पर प्रकाश डालता है।

अध्याय-5 सरकारी कंपनियों, वैधानिक निगमों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव के वित्तीय निष्पादन की चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1 विहंगावलोकन

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का 2019-20 में ₹ 7,499 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ थीं। 2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.81 *प्रतिशत* के प्रति 2019-20 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.88 *प्रतिशत* हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली, भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है।

(पैराग्राफ 1.5)

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का राजकोषीय अधिशेष 2015-16 में ₹ 1,332 करोड़ था जो कि 2016-17 के दौरान ₹ 1,051 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया तथा पुनः 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 के दौरान राजकोषीय अधिशेष ₹ 2,237 करोड़ था, जो 2019-20 के दौरान पुनः ₹ 416 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया।

(पैराग्राफ 1.5)

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

- राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,023 करोड़ (9.33 *प्रतिशत*) बढ़ गई। वर्ष 2019-20 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 79.90 *प्रतिशत* थी जबकि सहायता अनुदान का अंश 20.10 *प्रतिशत* था। कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व का अंश 2015-16 में 86.36 *प्रतिशत* से घटकर 2019-20 में 77.58 *प्रतिशत* तक हो गया।

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 2018-19 में ₹ 1,644 करोड़ से 49.94 *प्रतिशत* तक घट कर 2019-20 में ₹ 823 करोड़ हो गईं। ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्षों की तुलना में भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों में 65.45 *प्रतिशत* अधिक वृद्धि के कारण 2018-19 में ₹ 2,880 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,765 करोड़ हो कर 65.45 *प्रतिशत* तक बढ़ गई।

(पैराग्राफ 2.3.3)

- पूँजीगत व्यय वर्ष के मध्य में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 5,472 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है जबकि राजस्व व्यय 2015-20 के दौरान लगातार बढ़ा। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में ₹ 3,266 करोड़ से (67.54 *प्रतिशत*) बढ़कर ₹ 5,472 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय कुल व्यय का 81.94 *प्रतिशत* था जबकि वर्ष 2019-20 के लिए पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमश: 11.31 *प्रतिशत* तथा 6.75 *प्रतिशत* था।

(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.3)

- राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 26,343 करोड़ से 50.47 *प्रतिशत* बढ़कर 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 36,852 करोड़ से 7.56 *प्रतिशत* बढ़कर 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय में समर्पित व्यय का अंश पिछले पांच वर्षों की तुलना में 34.41 *प्रतिशत* से 35.81 *प्रतिशत* तक रहा।

(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.2)

- सब्सिडी पर व्यय 2015-16 में ₹ 1,867.61 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 3,592.94 करोड़ (92.38 *प्रतिशत*) हो गया। 2019-20 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 41.85 *प्रतिशत* बढ़ गया। स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2018-19 में ₹ 15,087.22 करोड़ से 7.59 *प्रतिशत* बढ़कर 2019-20 में ₹ 16,232.97 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ 2.4.2.4 एवं पैराग्राफ 2.4.2.5)

- 2019-20 में किए गए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 150 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2019-20 में निवेश पर प्रतिफल 0.08 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने 2019-20 के दौरान अपने ऋण पर 8.14 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

(पैराग्राफ 2.4.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियाँ शामिल है। सरकार का ऋण 2015-16 के आरंभ में ₹ 32,497.91 करोड़ से ₹ 2,268.93 करोड़ (6.98 *प्रतिशत*) बढ़कर 2019-20 के अंत में ₹ 34,766.84 करोड़ हो गया।

(पैराग्राफ 2.5 एवं 2.5.1)

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

- 2019-20 के दौरान ₹ 64,180.68 करोड़ (कुल बजट का 19.74 *प्रतिशत*) के कुल अनुदान एवं विनियोजन के प्रति ₹ 12,670.65 करोड़ की कुल बचत थी।

(पैराग्राफ 3.1 एवं पैराग्राफ 3.3.3)

- 11 मामलों में ₹ 810.86 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। चार अनुदानों के तहत 13 उप-शीर्षों में अंतिम बचत ₹ पाँच करोड़ से अधिक थी। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग

अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और ₹ 326.19 करोड़ के पुनर्विनियोग की तुलना में ₹ 455.77 करोड़ का संचयी गैर-उपयोग (बचत) हुआ।

(पैराग्राफ 3.3.1 एवं पैराग्राफ 3.3.2)

- तीन अनुदानों के अंतर्गत कुल ₹ 422.46 करोड़ के एकमुश्त बजटीय प्रावधान में से ₹ 317.82 करोड़ व्यय किए गए।

(पैराग्राफ 3.4.1)

- ₹ 12,670.65 करोड़ की कुल बचत में से मार्च में ₹ 3,289.96 करोड़ (25.97 *प्रतिशत*) की बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

(पैराग्राफ 3.5.1)

- सात अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत 39 उप-शीर्षों में, ₹ 196.76 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया।

(पैराग्राफ 3.5.2)

- 2019-20 के दौरान ₹ 51,186.26 करोड़ के कुल व्यय में से (₹ 323.77 करोड़ की वसूली के अलावा) ₹ 16,207.83 करोड़ (31.66 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि अंतिम तिमाही के ₹ 2,355.21 करोड़ (14.53 *प्रतिशत*) मार्च 2020 के दौरान व्यय किए गए थे। आगे, दो अनुदानों के अंतर्गत आठ उप-शीर्षों में ₹ 428.53 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2020 में किया गया।

(पैराग्राफ 3.5.4)

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

- परिवहन विभाग में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न अवधियों के लेन-देन की नमूना जांच से पता चला कि सरकारी प्राप्तियाँ सरकारी खाते में समय पर जमा नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,005.65 करोड़ की राशि 4 से 61 दिनों के बीच की देरी के साथ जमा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। साथ ही उक्त अवधि के लिए राशि राज्य की समेकित निधि से बाहर रही।

(पैराग्राफ 4.1)

- लेखापरीक्षा ने जाँच में पाया कि वर्ष 2011-12 से पूर्व ₹ 134.52 करोड़ की राशि के 1,126 उपयोगिता प्रमाणपत्र (56.33 *प्रतिशत*) बकाया थे जबकि 2011-12 से 2018-19 तक ₹ 6,722.45 करोड़ की राशि के 873 उपयोगिता प्रमाणपत्र (43.67 *प्रतिशत*) बकाया थे।

(पैराग्राफ 4.3)

- मार्च 2020 तक ₹ 774.47 करोड़ के कुल 5,225 सा.आ. बिल बकाया थे। 49 सरकारी विभागों ने वित्त वर्ष 2019-20 के खाते बंद होने से पहले ₹ 266.27 करोड़ की राशि के 730 वि.आ. बिल जमा नहीं किए और इसलिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वित्त वर्ष के दौरान ₹ 266.27 करोड़ का व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किया गया था।

(पैराग्राफ 4.4)

- 2019-20 के दौरान ₹ 45,108.86 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,019.29 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 13.34 *प्रतिशत* था। 2019-20 के दौरान ₹ 37,662.76 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 677.07 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.80 *प्रतिशत* था।

(पैराग्राफ 4.6)

- नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 12 निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा 2019-20 तक देय 12 निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे। हालांकि वर्ष 2019-20 तक 12 निकायों/प्राधिकरणों के 30 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2020 को लंबित थे।

(पैराग्राफ 4.9)

अध्याय -5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.)

- 31 मार्च 2020 को, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में दो सांविधिक निगमों तथा 16 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।

(पैराग्राफ 5.3)

- 2018-19 में आठ लाभ अर्जन-रा.सा.क्षे.उ. की तुलना में 2019-20 में 10 लाभ अर्जन रा.सा.क्षे.उ. थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 894.74 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ हो गया। 2019-20 के दौरान, ₹ 1,066.29 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 94.94 *प्रतिशत* था, में पाँच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अंशदान किया गया।

(पैराग्राफ 5.5.1)

- सात रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में हानियाँ हुई थी। उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2017-18 में ₹ 3,859.78 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ हो गई। 2019-20 के दौरान इस सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 5,294.16 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 5,280.55 करोड़ (99.74 *प्रतिशत*) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई थी।

(पैराग्राफ 5.8.1)

- 31 मार्च 2020 को दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड एवं दिल्ली परिवहन निगम के निवल मूल्य (-) ₹ 37,124.89 करोड़ था जो पूर्ण रूप से इन रा.सा.क्षे.उ. की संचित हानि द्वारा समाप्त हो गया।

(पैराग्राफ 5.8.2)

- 31 मार्च 2020 को नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा की परिधि के अंतर्गत 16 सरकारी कंपनियां थी। इनमें से वर्ष 2019-20 के लिए 16 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। हालांकि, केवल 11 सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए। पाँच सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे।

(पैराग्राफ 5.11.2)